राजस्व वाद 155/2017
जीसीएमएस नंबर 2017/00184
धन्नाराम बनाम् सुखदेव वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 155/2017

वादीगण–

1. धन्नाराम पुत्र मेघाराम
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सुखदेव पुत्र मेघाराम
2. रामकिशोर पुत्र भागीरथ
3. तहसीलदार जायल
4. रामप्यारी पुत्री मेघाराम
5. कमला पत्नी राजेन्द्र
6. रामेश्वर पुत्र सुखदेव
   जातियान–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर वादीगण की ओर से
2. श्री नाथुराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 28/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 एवं 4 के बडेर की पुस्तैनी भूमि मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2449 रकबा 17.08 बीघा, खसरा नंबर 2451 रकबा 16.19 बीघा, खसरा नंबर 2509 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 2510 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 2638 रकबा 17.11 बीघा, खसरा नंबर 2721 रकबा 11.02 बीघा रहती चली आई है। उपरोक्त खेत के अलावा एक अन्य खेत खसरा नंबर 1946 रकबा 23.01 बीघा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा 7.10 बीघा हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के नाम दर्ज होने से बंटवारा वाद में पक्षकार प्रतिवादी संख्या 2 को बनाया गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2059 की माह सुदी तीज को वाद पत्र के पैरा संख्या 2 (क से ग) के अनुसार कर सिंव–नींव अलग–अलग कर ली। जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2451 रकबा 16.19 बीघा, खसरा नंबर 2509 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नंबर 2449 रकबा 17.08 बीघा, खसरा नंबर 1946 रकबा 23.01 बीघा में से 15.11 बीघा उतरी भाग रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 सुखदेव के हक

28/6/2022
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2510 रकबा 14.10 बीघा, खसरा नंबर 2368 रकबा 17.11 बीघा, खसरा नंबर 2721 रकबा 11.02 बीघा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1946 रकबा 23.01 बीघा में से 7.10 बीघा दक्षिणी भाग रखा गया है। वादी व प्रतिवादीगण के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ने दिनांक 24.07.2019 को न्यायालय में उपस्थित होकर इकबाली जबाब पेश किया। जिसमें वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मुकेश बिडियासर ने तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की पहचान अधिवक्ता श्री नाथुराम ईनाणियां ने की। ईकबाली जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ऐडी तामिल सुदा प्राप्त है लेकिन बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने तथा बार-बार आवाजे लगाने के पश्चात् भी अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा प्रकरण हाजा में रामप्यारी पुत्री मेघाराम ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 पक्षकार बनने हेतु दिनांक 15.11.2019 को पेश किया जिस पर वकील वादी ने नो आब्जेक्शन किया इस कारण प्रतिवादी रामप्यारी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह धन्नाराम पुत्र मेघाराम के पेश हुये साथ नकल जमाबन्दी ग्राम जायल तहसील-जायल सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 254 प्रदर्श-1, सम्वत् 2065 से 2068 खाता संख्या 196 व 1683 जमाबंदी प्रदर्श-2 , सम्वत् 2069-2072 खाता संख्या 294 प्रदर्श-3 नकल पेश हुवे तथा श्रीमती गंगा देवी का मृत्यू प्रमाण पत्र पत्रावली में सलंग्न है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 द्वारा पत्रावली में जरिये ईकबाली जबाब वाद पत्र को स्वीकार किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक ईकबाली जबाब में वर्णित पैराज माफिक स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 व 4 के हक बंट की भूमि का जरिये ईकबाली जबाब आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक ईकबाली

जबाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 24.07.2019 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि संयोजित किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा अंकित है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबाली जबाब दिनांक 24.07.2019 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 4 ने आपसी सहमति के अनुसार बंटवाड़ा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण हाजा में मौजा जायल के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नं. 2451, 2509, 2449, 2510, 2638, 2721 की भूमि को यथावत एवं शेष मुतदाविया खेताय खसरा नंबर 1946 माफिक ईकबाली जबाब अनुसार बंट चाहा है जो पूर्ण रूपेण विभाजन नहीं है। अतः वाद पत्र में वर्णित खसरा नं. 1946 की भूमि का पूर्णरूपेण विभाजन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 20.09.2021 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 20.09.2021 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 250 दिनांक 13.1.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी धन्नाराम, रामकिशोर ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि भू.अभि.निरीक्षक सीताराम की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। दिनांक 17.06.2022 को वकील वादी की ओर से आदेश 1 नियम 10 (2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादगस्त खेतायों में कमला पत्नी राजेन्द्र व रामेश्वर पुत्र सुखदेव के नाम 1/4-1/4 खातेदारी भूमि दर्ज होने से खातेदार को आवश्यक पक्षकार होने से वाद पत्र में प्रतिवादी पक्षकार संयाजित करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी द्वारा No Objection Plead किया गया। वकील वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2) स्वीकार किया गया तथा वकील वादी ने

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 155/2017
जीसीएमएस नंबर 2017/00184
धन्नाराम बनाम् सुखदेव वगैरह

सशोंधित शीर्षक प्रस्तुत किया। पक्षकार वादी धन्नाराम एवं प्रतिवादी कमला एवं रामेश्वर ने हाजिर होकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 रामप्यारी के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 4 कमश का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2451, 2509, 2449, 1946, 2570, 2638, 4803/2721 का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत राजीनामें के अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : **आदेश** : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2451, 2506, 2449, 1946, 2570, 2638, 4803/2721 का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हम अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2451 रकबा 2.7438 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 2509 रकबा 0.4047 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 2449 रकबा 2.8166 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर में से 2.4875 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 कमला , रामेश्वर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2570 रकबा 2.3472 हैक्टेयर पुरा , खसरा नंबर 2638 रकबा 2.8409 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 4803/2721 रकबा 1.5540 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर में से 1.2437 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 रामप्यारी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने की स्थिति में)**

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व वाद 155/2017
जीसीएमएस नंबर 2017/00184
धन्नाराम बनाम् सुखदेव वगैरह

अतिंम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 155/2017

वादीगण–

1. धन्नाराम पुत्र मेघाराम
   जाति–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सुखदेव पुत्र मेघाराम
2. रामकिशोर पुत्र भागीरथ
3. तहसीलदार जायल
4. रामप्यारी पुत्री मेघाराम
5. कमला पत्नी राजेन्द्र
6. रामेश्वर पुत्र सुखदेव
   जातियान–जाट, निवासी जायल, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश बिडियासर वादीगण की ओर से
2. श्री नाथुराम ईनाणियां प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से
3. प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 व 4 हाजरी श्री नाथुराम ईनाणियां व प्रतिवादी संख्या 3 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा जायल तहसील जायल में खेत खसरा नं. 2451, 2506, 2449, 1946, 2570, 2638, 4803/2721 का बंटवाड़ा पक्षकारान् के मध्य दिनांक 13.06.2022 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हम अंतिम डिकी किया जाता है।

1. वादी धन्नाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2451 रकबा 2.7438 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 2509 रकबा 0.4047 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 2449 रकबा 2.8166 हैक्टेयर पूरा, खसरा नंबर 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर में से 2.4875 हैक्टेयर उतरी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
2. प्रतिवादी संख्या 5 व 6 कमला , रामेश्वर के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 2570 रकबा 2.3472 हैक्टेयर पुरा , खसरा नंबर 2638 रकबा 2.8409 हैक्टेयर पूरा , खसरा नंबर 4803/2721 रकबा 1.5540 हैक्टेयर पूरा रखा गया है।

28/6/2022
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

3. प्रतिवादी संख्या 2 रामकिशोर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा जायल का खेत खसरा नंबर 1946 रकबा 3.7312 हैक्टेयर में से 1.2437 हैक्टेयर दक्षिणी भाग नजरीनक्शानुसार रखा गया है।
4. प्रतिवादी संख्या 4 रामप्यारी के हक बंट कब्जा काश्त में मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी जमा करवाया जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हो।
5. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
6. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। **(रहन होने की स्थिति में)**

निर्णय आज दिनांक 28/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

28/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)